राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकल पीठ सिविल प्रथम अपील संख्या : 154/2001

Anand Prakash Sharma Versus Smt. Bhagwati Devi

10.1.2017

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी</u>

अपीलार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री अभि गोयल
प्रत्यर्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री दौलत शर्मा।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 28810/2016 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन रहा है कि प्रकरण के प्रत्यर्थी संख्या 4 की मृत्यु दिनांक 27.8.2016 को हो चुकी है, जिसके विधिक प्रतिनिधियों का नाम प्रार्थना पत्र क पैरा संख्या 1 में क्रमशः a. to g. के रूप में अंकित किया हुआ है। अतः मृतक प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधियों का नाम प्रत्यास्थापित किए जाने के आदेश दिए जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया। अपीलार्थी की ओर से प्रत्यर्थी संख्या 4 की मृत्यु दिनांक 27.8.2016 को हो जाने के पश्चात दिनांक 21.11.2016 को उसके विधिक प्रतिनिधियों को रिकार्ड पर लाये जाने हेतु हस्तगत

प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो मयाद में पेश होना पाया जाता है।

अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 28810/2016 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 4 की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उसके विधिक प्रतिनिधि, जिनका अंकन प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 1 में a. to g. के रूप में किया गया है, को रिकार्ड पर लिया जाता है।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी संशोधित वाद शीर्षक पेश करने हेतु समय चाहते हैं।

प्रकरण एकल पीठ सिविल अपील संख्या 222/2001 के साथ दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावें।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

जे एस पंवार/57—58